

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 30-9-12

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण/ 50P470200796200543	8.00

आवंटित राशि - ₹ आठ लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

९९

राँची, दिनांक :-

३०-९-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

९९

राँची, दिनांक :-

३०-९-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

89

/ सेंची, दिनांक -

30-9-12

परिशिष्ट - 1

मोंग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण,
विपत्र कोड-50P470200796200543
बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 200.00 लाख

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 13 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	सेंची	बुण्डू	असकिया सोतिया म.सि. योजना का पुनर्स्थापन	09/18.06.12	95.350	24.534	20.000	8.000	28.000	
योग								20.000	8.000	28.000	

आवंटित राशि - ₹ आठ लाख मात्र।

(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव